मध्यप्रदेश शासन

वाणिज्य उद्योग और रोजगार विभाग

मंत्रालय

क्र.एफ 11–87/2010/बी–11 भोपाल,दिनांक 29/12/2010

आदेश

उद्योग संवर्धन नीति 2010 एवं कार्ययोजना की कंडिका क्रमांक 5.21 के अनुसरण में समस्त औद्योगिक केन्द्र विकास निगमों एवं वाणिज्य,उद्योग और रोजगार विभाग के नियंत्राधीन समस्त अधोसंरचना विकास एजेंसियों को एतद् निर्देशित किया जाता है कि "दिनांक 1/11/2010 के पश्चात् मध्यप्रदेश में कही भी वाणिज्य,उद्योग और रोजगार विभाग के अधीन 500 एकड़ अथवा उससे अधिक भूमि पर विकसित किये जाने वाले औद्योगिक क्षेत्र/विस्तार किये जाने वाले औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिक श्रमिकों एवं कर्मचारियों के आवास हेतु कुल भूमि की आवश्यकता एवम् उपयुक्तानुसार अधिकतम 10 प्रतिशत तक भूमि पृथक जोन बनाकर आरक्षित करने की कार्यवाही की जाए।

2. उक्त प्रावधान को क्रियान्वित किये जाने हेतु विकास एजेंसी को क्षेत्र का औद्योगिक ले–आउट प्लान टाउन एण्ड कन्ट्री प्लानिंग विभाग अथवा इस हेतु सक्षम सम्बन्धित विभाग/संस्था से अनुमोदन लिये जाते समय यह सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा कि उसमें आवश्यकता एवं उपर्युक्तानुसार अधिकतम 10 प्रतिशत भूमि श्रमिकों एवं कर्मचारियों की आवास व्यवस्था हेतु पृथक जोन में चिन्हित की गई है।

अनुमोदित ले–आउट प्लान में उक्तानुसार प्रावधान सुनिश्चित किये जाने के पश्चात् ही विकास कार्य प्रारंभ किये जावे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(एम.एस.सोलंकी)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
वाणिज्य,उद्योग और रोजगार विभाग
मंत्रालय,भोपाल

पृ0 क्र0 एफ 11–87/2010/बी–11 भोपाल,दिनांक 29/12/2010

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव,म.प्र. शासन, राजस्व/आवास एवं पर्यावरण विभाग/श्रम विभाग मंत्रालय,भोपाल
2. उद्योग आयुक्त,मध्यप्रदेश,भोपाल
3. प्रबंध संचालक,म.प्र. राज्य औद्योगिक विकास निगम/म.प्र. ट्रायफेक,भोपाल
4. प्रबंध संचालक,म.प्र.औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, भोपाल/इन्दौर/जबलपुर/उज्जैन/ रीवा/ग्वालियर

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
वाणिज्य,उद्योग और रोजगार विभाग
मंत्रालय,भोपाल